# न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चूरू

**पीठासीन अधिकारी : उत्तम सिंह शेखावत, आर.ए.एस.**

परिवाद संख्या – 2024/1 दायर दिनांक 05.02.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू। –सायल–

बनाम

भगवन्त राय पुत्र नराताराम (विक्रेता/निर्माता मालिक) M/s Comfy Agro PVT, LTD
Gidderbaha, Muktsar sahib (Punjab) - 152101

–गैरसायल–

परिवाद जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (।।)/51 व 58 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रुल्स 2011

उपस्थित – 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।

**निर्णय** **दिनांक 03.05.2024**

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :–

1. यह कि में धर्मवीर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संम्पादन कर रहा हूँ। मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 एवं अधिसूचना पत्र कमांक प 5(01) चिस्वा/ग्रुप–3/2023/10018 दिनाक 15.12.2023 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर, आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता०/संस्था/2023/10077 दिनांक 26.12.2023 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला चूरू आंवटित किया हुआ है तथा जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्राधिकार में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की प्रतियां न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि प्रभारी पुलिस थाना, राजगढ श्री सुभाष चन्द्र द्वारा श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ जिला चुरु को सम्बोधित करते हुये तहरीर क्रमांक 10469 दिनांक 27.10.2023 इस आशय के प्रस्तुत की कि थाना क्षेत्र राजगढ में दोराने गस्त एक पीकअप न पीबी 03 एजे 7291 को मिलावटी **घी** भरा होने की आंशका पर उनके थाना परिसर में सुरक्षार्थ जांच हेतु खड़ी की हुई है। उक्त सूचना व श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चूरू मु० रतनगढ़ के निर्देशानुसार वास्ते जाच गय जांच दल दिनांक 28.10.2023 को पुलिस थाना राजगढ पहुंचकर थानाधिकारी से प्रकरण की जानकारी ली गई तथा उक्त नम्बरी पिकअप में भरे घी की जांच में सहयोग हेतू उक्त खाद्य पर्दाथ के निर्माता व मालिक को इन्वोईस के आधार पर जरीये दुरभाष सुचित कर मौके पर बुलाया गया।
3. यह कि पिक न पीबी 03 एजे 7291 में भरे खाद्य पर्दाथ घी की जांच में सहयोग हेतू मैसर्स Comfy Agro PVT LTD GidderBaha- Muktsar Sahib (Punjab) -152101 की और से श्री भगवन्त राय पुत्र श्री नरताराम निवासी जैतो जिला फरीदकोट पंजाब पुलिस थाना परिसर राजगढ़ में उपस्थित आये तथा उक्त नम्बरी पिक अप में भरे खाद्य पर्दाथ घी के स्वामित्व व उनकी फर्म के मालिकाना हक व स्वयं की पहचान हेतू आवश्यक दस्तावेज नौके पर प्रस्तुत किये व बताया गया की उनकी फर्म के द्वारा उक्त खाद्य पर्दाथ को जरीये ईन्वोइस न. CAPL/23-24/284 DATE 26-10-2023 मैसर्स दुर्गा ट्रेडींग कम्पनी बनी पार्क जयपुर को विक्रय हेतु परिवहन किया जाना बताया पुलिस थाना प्रभारी राजगढ को इस आशय का पत्र प्रेषित किया की खाद्य पर्दाथों की नियमानुसार जांच व तत्पश्चात स्वयं की किराये की परिसर में शेष खाद्य पर्दाथों का जांच व अग्रिम कार्यवाही तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाने का आग्रह किया गया। जिस पर उक्त पिक अप में भरे खाद्य पर्दाथों का श्री भगवन्त राय द्वारा उनके किरायेशुदा मालगोदाम श्रीमती शारदा देवी पत्नी सुशील कुमार कन्दोई वार्ड नं. 08. शिव मंदिर के पास, राजगढ़ (चूरू) परिसर में पिकअप से वास्ते जांच खाली करवाया गया। प्रस्तुत दस्तावेज व किरायानामा सलग्न आवेदन है।
4. उक्त नम्बरी पिकअप के चालक से प्राप्त इन्वोईस के आधार पर मालगोदाम में रखे खाद्य पर्दाथों का मिलान कर चैक किया गया तो खाद्य पर्दाथ **गाय का घी (अमृत ब्रांड)** के विभिन्न बजन के पैक 1 लीटर के 20 मोनो कार्टन गत्ता बैंकिग बाक्स, 500 मीली मोनो कार्टन गत्ता पैंकिग के कुल 10 बाक्स व 200 मीली के 10 मोनो कार्टन गत्ता पैकिंग व 5 लीटर के 05 बाक्स उपलब्ध मिले।
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए कि प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री भगवन्त राय को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

6. यह कि उक्त उपलब्ध माल में से 500 मीली के 04 मोनो कार्टन गत्ता असल मुल कम्पनी पेकिग वासी जांच नमूना खरीद किया जिसकी कीमत विक्रेता श्री भगवन्त राय को 1280/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री विनोद कुमार थारवान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, चूरू व श्री सुशील कुमार कन्दोई के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।
7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गाय का घी (अमृत ब्रांड)** को विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष उक्त खरीदशुदा गाय का घी (अमृत ब्रांड) पर अभिहित अधिकारी द्वारा जारी हस्ताक्षरयुक्त एक ही कोड व कमाक **एल–3893** चार स्लीप जारी कि गयी थी। एक ही जैसे चार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूनें की मोनो कार्टन गत्ता पेंकिग पर चिपकाये और प्रत्येक लेबल पर अभिहीत अधिकारी के कोड एवं क्रमांक एल–3893 दर्ज कर नमूने का विवरण अंकित कर मैने स्वय हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवायें। उक्त प्रकार से तैयार वारो नमूना मागों को अलग–अलग खाखी कागज में लपेट कर दोनों सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर अभिहीत अधिकारी जिला चूरू की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एल–3893 नियमानुसार नमुना के चारों प्लास्टिक जार पर अराउण्ड गोलाई में टॉम टू बोटम गॉंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूनें के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने भागो पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये पेपर स्लीप व खाली कागज एवं खाखी कागज पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। नमूने का विवरण अंकित कर मैने स्वयं हस्ताक्षर किये।
8. उक्त समस्त कार्यवाही कि मौके पर संयुक्त दल द्वारा मौका फर्द रिमोर्ट तैयार कर विक्रेता व गवाहान को पढ़ कर सुनाई व समझाई जिन्होने सत्यमान हस्ताक्षर किये मैने स्वयं हस्ताक्षर कर मौके पर कागजात व चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया। परिसर में शेष बचे 1 लीटर के 20 मानों कार्टन गत्ता पैकिंग बाक्स 600 मीली मोनो कार्टन गत्ता पेंकिग के फुल 09 बाक्स (01 बाक्स खुला) व 200 मीली के 10 मोनो कार्टन गत्ता बैंकिग व 5 लीटर के 05 बाक्स को सीज किया गया व नियमानुसार फार्म नं. 02 व फार्म नं 03 तैयार कर विक्रेता मालिक व गवाहान के हस्ताक्षर करवा मैने स्वयं हस्ताक्षर किये। नमूना संख्या 3893 से संबधित समस्त कार्यवाही की मौका फर्द तथा फार्म न. 02 व 03 सीजर हेतु तैयार कर विक्रेता व्य गवाहान को पढ़कर सुनाई व समझाई जिन्होने सत्यमान हस्ताक्षर किये मैने स्वंय ने हस्ताक्षर कर नमूना सील की प्रति मुद्रा मौका फर्व पर अंकित पर स्वंय के हस्ताक्षर किये। जो संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।
9. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर नमूने की जांच हेतु ज्ञापन फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियों तैयार कर मौके पर सील व चपडी किये गये नमूनों में प्रयुक्त नमूना सील कि प्रति मुद्रा अकित कर नमूने का विवरण अकित किया। उक्त प्रकार से तैयार कर पुनः नमूनों के भागों को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की प्रति रखकर धागे से बाधकर नियमानुसार सील चपडी कर सील बन्द किया। तैयार ज्ञापन फार्म नम्बर 6 की दो मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य, केन्द्रीय प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर का पता अंकित लिफाफे में रख सील चपडी किया। उक्त प्रकार से तैयार आउटर कवर में रखा नमूना संख्या **एल–3893** का एक नमूना भाग व पृथक से सील चपडी सुदा लिफाफा कार्यालय के श्री इस्लामुदीन च.श्र.क. कार्यालय हाजा रतनगढ़ के माध्यम से प्रयोगशाला में जमा करा जमा की रसीद प्राप्त की गई। शेष दो सील बन्द नमूना दो तैयार ज्ञापन प्रतियों के आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनों का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ को जगा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
10. संयुक्त जांच दल द्वारा मौके पर समस्त कार्यवाही करने के पश्चात आम जन के स्वास्थ्य के हित में मैसर्स Comfy Agro PVT LTD GidderBaha- Muktsar Sahib (Punjab) -152101 के मालिको द्वारा माल गोदाम श्रीमती शारदा देवी पत्नी सुशील कुमार कन्दोई वार्ड नं. 08. शिव मंदिर के पास, राजगढ़ (चूरू) में रखे शेष खाद्य पदार्थ **गाय का घी (अमृत ब्रांड)** को विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया गया व विक्रेता गवाहान के समक्ष हरत लिखित फर्द तैयार की गई जिसकी छायाप्रति सलग्न न्यायनिर्णयन है।
11. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ द्वारा अग्रेषण पत्र क्रमांक–1492 दिनांक 17.11.2023 के साथ संलग्न कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की जाच रिपोर्ट सख्या एल.एस./4406/एक्ट/2023/4537 दिनांक 07.11.2023 प्राप्त हुई जिसका अवलोकन करने पर पाया कि विक्रेता श्री भगवन्तराय से वास्त नमूना जाँच क्रय कर लिया गया खादय पदार्थ **गाय का घी (अमृत ब्रांड) सबस्टैण्डर्ड फूड Contravenes Regulation No 2.3.7(2) Of Food Safety And Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulations 2011Due to Presence of Foreign Fat** होना पाया। जाव रिपोट मय अष्ण पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।
12. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को लिखे गये पत्र व जबाब पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।



अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

13. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/133 दिनांक 24.01.2024 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मवीर को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चूरू जिला चूरू को प्रकरण पेश करने हेतु प्राधिकृत किया।
14. यह कि उक्त प्रकरण में श्री भगवन्त राय ने **सबस्टैण्डर्ड** फुड व **Contravenes Regulation No 2.3.7(2) Of Food Safety And Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulations 2011Due to Presence of Foreign Fat** खाघ पदार्थ **गाय का घी (अमृत ब्रांड)** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा **51** व **58** में निर्धारित है अतः उपरोक्त प्रकरण श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के बाद गैरसायल दिनांक 29.02.2024 के पश्चात से आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुआ है, ना ही प्रकरण में किसी प्रकार का कोई जवाब पेश किया। उपस्थिति व जवाब के अभाव में प्रकरण में गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ **गाय का घी (अमृत ब्रांड)** सेम्पल नं. एल-3893 FOOD रिपोर्ट संख्या एल.एस./4406/एक्ट/2023/4537 दिनांक 07.11.2023 के अनुसार **Sub-standard as it not derived exclusively from milk or products obtained from molk as it contain foreign fat and hence it also Contravenes Regulation No 2.3.7(2) Of Food Safety And Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulations 2011 Due to Presence of Foreign Fat** होना पाया, जो खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन हुआ है। खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 व 58 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ को सुना गया। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ **गाय का घी (अमृत ब्रांड)** की रिपोर्ट संख्या एल.एस./4406/एक्ट/2023/4537 दिनांक 07.11.2023 से **Sub-standard as it not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat and hence it also Contravenes Regulation No 2.3.7(2) Of Food Safety And Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulations 2011 Due to Presence of Foreign Fat** होना पाया गया है। इस प्रकार गैरसायल के द्वारा **सबस्टेण्डर्ड** व Contravenes Regulation No 2.3.7(2) Of Food Safety And Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulations 2011 Due to Presence of Foreign Fat खाद्य पदार्थ विक्रय का कारोबार करना परिवाद से साबित है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायल को **सबस्टेण्डर्ड** व Contravenes Regulation No 2.3.7(2) Of Food Safety And Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulations 2011 Due to Presence of Foreign Fat खाद्य पदार्थ **गाय का घी (अमृत ब्रांड)** बेचने के कारण गैरसायल भगवन्त राय पुत्र नराताराम (विक्रेता/निर्माता मालिक) M/s Comfy Agro PVT, LTD Gidderbaha, Muktsar sahib (Punjab) - 152101 को **अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत रूपये 5,00,000/- (पांच लाख) रूपये व अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत 2,00,000/- (दो लाख) रूपये** कुल 7,00,000/- (सात लाख) रूपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायल को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायल उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड-0210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियाँ, (03)- खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाध सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायल द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें तथा **खाध सुरक्षा अधिकारी रतनगढ़ को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में जब्त सामग्री का नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही की जावें।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चूरू (राज.)